कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 1463 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 06/12/ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– बागेश्वर में स्याली से इडिया–मनाखेत मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 47027/2020।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 379/12–1 दिनांक 24.08.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 2057/12–1 (2) दिनांक 30.11.2023 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

...लय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249 वन मित्र काल सेंटर– 9208008000

पत्रांक 2057 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 30/ 11 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – **जनपद बागेश्वर में स्याली से इड़िया–मनाखेत मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–47027/2020)**

सन्दर्भ– अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलानी, देहरादून का पत्रांक 379/12-1 दिनांक 24 अगस्त 2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु स0 1.	The villages 'Syali" and Ediya are already connected with the existing routes. Only the villages Manakhet is required to be connected. Connectivity to the village Manakhet can be easily provided through the private lands to the nearest existing route. The proposal involves felling of 491 trees which is not justifiable to connect villages which are already connected only the village' Manakhet with the nearest existing road.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम स्याली एवं इड़िया के कुछ ग्रामीण प्रस्तावित संरेखण से जुड़े हैं, परन्तु अधिकांश आवादी नहीं जुड़ी है। जिस हेतु ग्रमीणों/जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव के आधार पर ही राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति स्याली से इड़िया–मनाखेत नाम से ही जारी की गई है। उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार ही ग्राम मनाखेत को जोड़ने हेतु संरेखण को ग्राम स्याली–इडिया होते हुए प्रस्तावित किया गया है। ग्राम मनाखेत को जोड़ने हेतु अन्य विकल्पों पर विचार किया गया परन्तु उचित मानकों के अनुसार ग्रेड प्राप्त न होने के कारण एवं ग्रामवासियों की असहमति के कारण प्रस्तावित संरेखण के अनुसार ही वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया गया है, जिसमें मात्र 1.763 है0 वनभूमि ही प्रभावित हो रही है तथा 0 से 10 व्यास के एवं नाप भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों को सम्मिलित करते हुए मात्र 491 चीड़ के वृक्ष ही प्रभावित हो रहे हैं।
2.	The State Govt.is requested to revise the muck disposal plan as 29583 cu. M muck is proposed to be disposed of while the carrying capacity of the muck disposal yards is mentioned to be only 1026 cu.m.	मलुवा निस्तारण योजना संषोधित कर 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3.	State Govt. is requested to revise their norms of minimum road width requirements provide connectivity to such isolated villages through forest area. It will help in maintaining biological richness	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित संरेखण में मोटर मार्ग की चौडाई 9मी0 ली गई है। विभाग के मानकों के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण के दौरान मात्र 5.95 मी0 चौड़ाई में ही मोटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।

संलग्न– 04 प्रति में।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d BGR .docx"